रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2012/चैत्र 8, 1934
No. 81] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2012/CHIATRA 8, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

विषय : अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची तथा उसको अद्यतन बनाने हेतु संस्थागत तंत्र ।

फा. सं. 13/6/2009-आईएनएफ.—अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची की पहचान के बारे में अवसंरचना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीआई) की 1 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय का पालन करते हुए, एक संस्थागत तंत्र गठित किया जाता है । यह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

i	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	-अध्यक्ष
ii	सदस्य-सचिव, योजना आयोग	-सदस्य
iii	सचिव, राजस्व विभाग	-सदस्य
iv	प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग	-सदस्य
v	प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक	-सदस्य
vi	प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी)	-सदस्य
vii	प्रतिनिधि, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)	-सदस्य
viii	प्रतिनिधि, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	-सदस्य
ix	सचिव, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	-सदस्य

2. संस्थागत तंत्र के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगेः

i **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न अवसंरचना उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची को अद्यतन बनाना; और

ii मास्टर सूची के इतर, उपयुक्त समय के बाद उन अवसंरचना उप-क्षेत्रों पर पुनः ध्यान देना जो किसी एजेन्सी से इस समय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

3. अवसंरचना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के निर्णय के अनुसार, उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची अवसंरचना को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी एजेन्सियों के मार्गदर्शन के लिए होगी। प्रत्येक वित्तपोषण

एजेन्सी मास्टर सूची से उन उप-क्षेत्रों को जिन्हें वह सहायता देने की इच्छुक है, के कारण बताते हुए तथा इस सूची में से विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों को शामिल करने अथवा शामिल न करने का पर्याप्त औचित्य देते हुए अपनी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

4. यह संस्थागत तंत्र निर्णय हेतु वित्त मंत्री को सिफारिशें करेगा।

5. आर्थिक कार्य विभाग इस संस्थागत तंत्र को सेवाएं प्रदान करेगा।

राजेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची

क्र.संख्या	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन	• सड़क और पुल • पत्तन • अन्तर्देशीय जलमार्ग • एयर पोर्ट • रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल[1] • शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक के अतिरिक्त)
2.	ऊर्जा	• विद्युत उत्पादन • विद्युत पारेषण • विद्युत संवितरण • तेल पाईप लाईन • तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा[2] • गैस पाईपलाईन[3]
3.	जल और स्वच्छता	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन • जल आपूर्ति पाईपलाईन • जल शोधन संयंत्र • मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली • सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) • स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली
4.	संचार	• दूरसंचार (फिक्सड नेटवर्क)[4] • दूरसंचार टावर्स
5.	सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसरंचना	• शिक्षण संस्थान (कैपिटल स्टाक)

		• अस्पताल (कैपिटल स्टाक)[5] • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के होटल • औद्योगिक पार्कों, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार हेतु सांझी अवसरंचना • उर्वरक (पूंजी निवेश) • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-जांच प्रयोगशालाएं • शीत श्रृंखला[6]

[1] लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल है।

[2] कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।

[3] शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।

[4] फाइबर आप्टिक /वायर/तार नेटवर्क जो कि ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।

[5] चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केन्द्र शामिल है।

[6] कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, जल उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर प्री-कूलिंग हेतु शीत कक्ष सुविधा शामिल है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs

(INFRASTRUCTURE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2012

Sub: Harmonized list of Infrastructure sub-sectors and Institutional Mechanism for its updation

F. No. 13/6/2009-INF.—In pursuance of the decision of the Cabinet Committee on Infrastructure (CCI) taken in its meeting held on 1st March, 2012 on the identification of the harmonized list of Infrastructure sub-sectors, an Institutional Mechanism is hereby constituted consisting of the following:-

i. Secretary, Department of Economic Affairs - Chairman
ii. Member-Secretary, Planning Commission - Member
iii. Secretary, Department of Revenue - Member
iv. Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs - Member
v. Representative of Reserve Bank of India - Member
vi. Representative of Securities and Exchange Board of India (SEBI) - Member

vii. Representative of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) - Member

viii. Representative of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) - Member

ix. Secretary of the concerned Administrative Ministry/Department - Member

2. The Terms of Reference of the Institutional Mechanism would be as under:

i. To update the Master List of Infrastructure sub-sectors as enclosed at **Annexure-I**; and

ii. To revisit the infrastructure sub-sectors outside the Master List which are presently being supported by any agency after an appropriate period of time.

3. As per the decision of the CCI, the harmonised Master List of sub-sectors is meant to guide all the agencies responsible for supporting infrastructure in various ways. Each financing agency shall be free to spell out its reasons and draw its own list of sub-sectors out of the Master List, that it intends to support, with adequate justification for inclusion/non-inclusion of specific sub-sectors from the Master List.

4. The Institutional Mechanism will make recommendations to the Finance Minister for decision.

5. The Institutional Mechanism will be serviced by the Department of Economic Affairs.

RAJESH KHULLAR, Jt. Secy.

ANNEXURE- I

Harmonised Master List of infrastructure sub-sectors

S No	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport	• Roads and bridges • Ports • Inland Waterways • Airports • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges[1] • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	• Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility[2] • Gas pipelines[3]
3.	Water & Sanitation	• Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments etc) • Storm Water Drainage System

4.	Communication	• Telecommunication (Fixed network)[4] • Telecommunication towers
5.	Social and Commercial Infrastructure	• Education Institutions (capital stock) • Hospitals (capital stock)[5] • Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million • Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets. • Fertiliser (Capital investment) • Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories • Cold chain[6]

[1] Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings
[2] Includes strategic storage of crude oil
[3] Includes city gas distribution network
[4] includes optic fibre/ wire/cable networks which provide broadband /internet
[5] Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostic Centres
[6] Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat

1093GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.